



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15102026-277164
CG-MH-E-15102026-277164

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5421]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 14, 2026/आश्विन 22, 1948

No. 5421]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2026/ASVINA 22, 1948

रेल मंत्रालय
[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]
अधिसूचना

मुंबई, 14 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5635(अ).— केंद्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 16 जून 2026 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 488(अ), तारीख 16 जून 2026 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य के गीर सोमनाथ जिले में सोमनाथ रेलवे स्टेशन (दूसरी निकास सड़क) का निर्माण कार्य परियोजना नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिये अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उसत अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्र "संदेश" में तारीख 03 जुलाई 2026 और "दि टाइम्स ऑफ़ इन्डिया" में तारीख 03 जुलाई 2026 को प्रकाशित किया गया था।

और, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20(ड) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करी है की इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20(ड) की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती है की इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर अन्य रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के गीर सोमनाथ जिले में प्रस्तावित सोमनाथ रेलवे स्टेशन (दूसरी निकास सड़क) का निर्माण कार्य के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम: गीर सोमनाथ

क्रम संख्या	खसरा संख्या	7/12 के अनुसार भुधारक का नाम	अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (स्क्वेअर मिटर)
ग्राम : प्रभास पाटण, तहसील : वेरावल शहर			
1	142/पै.2/पैकी 1	श्री काझी की मस्जिद मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर मौजूदा ईसा चांद	2000.00
कुल :			2000.00

[फा. सं. ई -751341-02]

राजेन्द्र कुमार, मुख्य परियोजना प्रबंधक/सी

MINISTRY OF RAILWAYS
[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, 14 October, 2026

S.O. 5635(E).— Whereas by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number G.S.R. 488(E), dated 16th June, 2026 published in Gazette of India Extraordinary. Part II, section-3, Sub-section (i), dated 16th June, 2026 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, has declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, Construction of Somnath Railway Station (2nd Exit Road) in District Gir Somnath in the State of Gujarat

And whereas, the substance of the said notification was published in daily “Sandesh” dated 03 July, 2026 and “The Times of India” dated 03 July, 2026 under sub-section (4) of Section 20A of the said Act;

And, whereas, Nil objection has been received by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 20(E) of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20(E) of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20(E) of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances

SCHEDULE

Brief Description of the Land to be acquired with or without Structure Falling within the District Gir Somnath for Special Railway Project, Construction of Somnath Railway Station (2nd Exit Road) in the state of Gujarat.

Name of District: Gir Somnath

Sr. No.	Survey No.	As per 7/12 Land holder's name	Area of Land to be Acquired (in Sqm.)
Village : Prabhash Pantan, Taluka : Veraval City			
1	142/P.2/Paki 1	Shri Kazi's Mosque – Currently Administrator: Currently Isa Chand	2000.00
Total			2000.00

[F. No. E-751341-02]

RAJENDRA KUMAR, Chief Project Manager /C